न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–294 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 294

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. हापूराम पुत्र किशनाराम जाति विश्नोई निवासी रणोदर तहसील चितलवाना जिला सांचौर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,चितलवाना जिला सांचौर 2. किशनाराम पुत्र हराराम 3. बाबुलाल पुत्र गोमदाराम 4. वीराराम पुत्र गोमदाराम 5. रामुराम पुत्र हीराराम जातिगण विश्नोई निवासीगण रणोदर तहसील चितलवाना जिला सांचौर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना के प्रकरण</u>

<u>संख्या 8 / 2024</u>

उपस्थिति :–
1. श्री श्यामसिह सोंलकी, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री पारसमल बाराडा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ।

अति. संभागीय आयुक्त न्यायालय पाली (राज.)

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 27/8/2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के प्रकरण संख्या 8 / 2024 में निर्णय दिनांक 19.06. 2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. ब्हस उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है ... के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अग्रिम ... कर निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 2 व 3 की संयुक्त ... खातेदारी की कृषि भूमि मौजा ग्राम नाईयो की ढाणी पटवार हल्का रणोदर के खसरा संख्या 1835 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:03 IST
Reason: Self Attested

27/8
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2.49 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 1721 क्षैत्रफल 3.50 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1829 क्षैत्रफल 2.68 हैक्टेयर किस्म बारीन प्रथम तथा ग्राम रणोदर पटवार हल्का रणोदर के खसरा संख्या 1720 क्षैत्रफल 0.63 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 1722 क्षैत्रफल 0.60 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित है । रेस्पोडेंट संख्या 1 तहसीलदार चितलवाना ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 9.2. 2024 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58,59,60, 66 व 86 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के तहत पेश कर रणोदर हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट की उक्त कृषि भूमि में से कुल भूमि का संलग्न ट्रेस व प्रस्ताव अनुरूप रास्ते के रूप में उपयोग होने से माफिक रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व प्रस्ताव उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित कर गैर मुमकिन रास्ता खातेदार की खातेदारी में ही दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया ।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर माफिक हल्का पटवारी की रिपोर्ट, ट्रेस नक्शा व प्रस्ताव, अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 5 की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख के जरिये नामान्तरकरण के पृथक रास्ता दर्ज करने एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम करने का आदेश दिनांक 19.06.2024 को पारित किया गया जिस आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अपीलाधन आदेश विधि, न्याय, नियम व प्रकिया का दुरूपयोग कर मौके व रेकर्ड के वास्तविक तथ्यो की अनदेखी कर मनमाने ढंग से आनन फानन में पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को प्रकरण की सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। हल्का पटवारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारो से मिलावट कर अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट की बिना जानकारी व बिना सहमति बाले-बाले सरासर गलत, मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस व प्रस्ताव तैयार किय गये है जिस पर तहसीलदार चितलनवाना ने भ्रष्ट आचरणपूर्वक आंख मूंद कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने की अनुशंसा की है। अधिनस्थ न्यायाल ने उक्त प्रकार से दूषित मिलावटी दस्तावेजो व आवेदन के आधार पर बिना कोई विचारण, विश्लेषण व विवेचन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कतई प्राकृतिक न्याय की परिधि में नही आता है जिस कारण से अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय ... प्रावधानो व नियमो का कतई पालन नही किया गया है। ... दर्ज करने से पूर्व रिपोर्ट

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कुन्दिा से रिपोर्ट प्राप्त नही की गई, तत्पश्चात विधि अनुसार प्रकरण दर्ज नही किया गया तत्पश्चात विधि अनुसार अप्रार्थीगण की तलबी नही की गई, पत्रावली पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जो नोटिस पेश है वो नोटिस भी किसी अन्य प्रकरण से संबंधित है तथा नोटिस जारी नही हुए है । नोटिस पर तामिल रिपोर्ट गलत, मिलावटी व अपूर्ण है। तत्पष्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस व तामिल रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट सहित सभी अप्रार्थीगण की तामिल होना मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांन्त 2022(2)डीएनजे (रेव.) पेज न. 1003 प्रस्तुत किया ।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.3(2)राज–6/2003 पार्ट–4 जयपुर दिनांक 10.03.2016 की पालना में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने का उल्लेख किया है किन्तु अपीलाधीन आदेश उक्त परिपत्र में दिये गये दिशा–निर्देशो के परे जाकर पारित किया गया है उक्त परिपत्र में वर्णित रास्ते संबंधित समस्या 1(।) (।।) व निराकरण के बिन्दु में ''राजकीय भूमि/ निजी खातेदारी की भूमि में से मौक पर स्थायी रूप से चालु रास्ता है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही अथवा राजस्व नक्शे में रेखा–बिन्दुओ (डॉटेड लाईन) से दर्ज रास्ते, जहां कई जगह कच्ची व पक्की सडक बन गई है।'' तथा निराकरण बिन्दु ''स्थाई सार्वजनिक रास्ते वे है जो बारहमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नही तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है ।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा परिपत्र के उक्त निर्देशो के संबंध में कोई ध्यान नही दिया गया है क्योंकि वादग्रस्त आराजी में मौके पर ऐसा कोई स्थायी रास्ता जो राजस्व रेकर्ड मं दर्ज नही है अथवा नक्षे में रेखा बिन्दुओं के रूप में दर्ज हो विद्यमान या अस्तितत्व में ही नही है साथ ही कोई बारहमासी रास्ता आमजन के लिये उपलब्ध भी नही है जो पत्रावली में शामिल हल्का पटवारी की रिपोर्ट, ट्रेस नक्शा व प्रस्ताव से स्पष्ट है । इसके अलावा परिपत्र में समस्या बिन्दु संख्या 3 व उसके निराकरण हेतु जारी दिशा–निर्देशो का भी अधिनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही किया है जिसमें निर्देषित है कि काश्तकार द्वारा अपने खेत पर जाने हेतु दूसरे काश्तकार की भूमि से नया रास्ता चाहने पर आर.टी.एक्ट की धारा 251 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की सकती है। इसके अलावा संयुक्त खातेदारी भूमि के संबंध में विभाजन की कार्यवाही कर रास्ते का प्रस्ताव किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में एक काश्तकार को दूसरे काश्तकार की खातेदारी भूमि में से आवागमन हेतु नया रास्ता प्रदान किया गया है जो कानूनन अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदान नही किया जा सकता है अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त खातेदारो की कृषि भूमि है जिसमें सभी खातेदारो का अपने–अपने हक हिस्से पर निर्विवादित रूप से कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

काश्त, उपयोग व उपभोग है। हल्का पटवारी द्वारा तैयार मौका पर्चा, रिपोर्ट, लट्ठा ट्रेस नक्शा व प्रस्ताव अनुसार मौके पर कभी कोई रास्ता नही रहा, न ही रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में वर्णितानुसार भूमि का कभी रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग ही रहा है। किसी भी खातेदार को प्रस्तावित रास्ते की कभी कोई आवश्यकता नही हुई है न ही किसी भी खातेदार के अपने हक किस्से पर कब्जा काश्त करने, उपयोग व उपभोग करने हेतु रास्ते की बाधा या समस्या रही है। सभी खातेदारान के निवास (ढाणिया) वादग्रस्त आराजी में उनके हक किस्से में उनकी सुविधानुसार स्थापित है जिनके आवागमन व कब्जा काश्त हेतु पृथक से विशिष्ट रास्ते की कोई आवश्यकता नही है न ही अपीलान्ट अथवा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष रास्ता तरमीम हेतु कोई आवेदन ही किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादग्रस्त आराजी मं अपीलाधीन आदेश के जरिये रेकर्डेड रास्त दर्ज करने व तरमीम करने का कोई औचित्य नही है। अपीलान्ट की बेशकिमती कृषि भूमि में से रास्ते की भूमि दर्ज व तरमीम होने से व रास्ता निकालने से अपीलान्ट को भारी आर्थिक नुकसान होगा तथा अपीलांट अपने हक अधिकारों एवं कब्जा काश्त से वंचित हो जायेगा। गैर मुमकीन रास्ते की आड में अन्य पक्षकारो व मवेशियों, जीव–जानवरों से फसल को नुकसान पहुचाने तथा काश्त करने में खलल पैदा होगी तथा खातेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न होगे। उपरोक्त आधारो पर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1827 में जिस स्थान पर रास्ता दर्शाया गया है उक्त रास्ते के बीच में अपीलांट व उसके परिवार की शमशान भूमि पडती है जहां पर अपीलांट व उसके परिवार के पूर्व में मृत्यु हुए सदस्यों के शव दफन है। जिसके उपर से रास्ता निकाला जाना उन मृत शरीर व उनकी आत्माओं का अपमान होगा तथा शमशान भूमि के स्थान पर रास्ते का उपयोग व उपभोग होने पर भविष्य में शवों के दफनाने व अन्य कियाकर्म करने में भी परेशानी पैदा होगी। शमशान में से होकर रास्ता निकालना कानूनन भी गलत है शमशान हेतु उपयोग होने वाली भूमि को संरक्षित रखा जाना भी कानूनन आवश्यक है । इसके अतिरिक्त प्रस्तावित नक्शे में बताये गये रास्ते में संबंधित खातेदारो की ढाणियां है। जिनमें कच्चे व पक्के मकानात वने हुए है, मवेशियों को बांधा जाता है । उपरोक्त दशाओ में प्रस्तावित रास्ता मौके पर गत 9–10 दशक से विद्यमान हो और रास्ते का उपयोग व उपभोग हो रहा हो तथा पदचिन्ह दिखाई देते हो के तमाम तथ्य निराधार, मनघडन्त प्रतीत होते है हितबद्ध खातेदारो द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर, बिना प्रतिफल रास्ता प्राप्त करने के दुराशय पूर्वक हस्तगत [illegible] गलत तरीके से पूर्ण की गई है जिस कारण से अपीला[illegible] आदे[illegible]अपास्त होने योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:03 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अ[illegible] किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] द्वारा विधि के अनुसार आदेश पारित किया गया तथा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट हापूराम

27/8/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

को नोटिस जारी किया गया था उक्त नोटिस विधिवत तामील प्राप्त होने के बाद निर्णय पारित किया गया इस कारण अपील अपीलण्ट खारीज योग्य है ।

हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक सुना गया नही है न ही परिपत्र के आधार पर रास्ता दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करने के पश्चात् संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है न ही अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के प्रकरण संख्या 8/2024 दिनांक 19.06.2024 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करै। तब तक मौके की यथास्थिति रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

27/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

27/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner